



दिनांक 29.01.2026

प्रेस विज्ञाप्ति 62 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 29.01.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद इकाई द्वारा सुखविन्दर सिंह निवासी ग्राम सिकरौरा थाना बिलासपुर जनपद रामपुर से विद्युत कनेक्शन करवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह के नेतृत्व में श्री लक्ष्मण मिठाई की दुकान, चकफेरी/लक्ष्मण मोड़ से टेक्निशियन नितेश सिंह (बिजलीघर गोविन्दपुरा तहसील बिलासपुर रामपुर) पुत्र स्व0 रमाशंकर सिंह निवासी प्लाट नं0-92 मोहल्ला व थाना स्वरूप नगर दिल्ली, हालपता सरकारी अस्पताल के पास थाना बिलासपुर जनपद रामपुर को 11 हजार रुपये रिश्तत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।



दिनांक 29.01.2026

प्रेस विज्ञप्ति 63 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना शाहबाद

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.01.2026 को थाना शाहबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहबाद—ढकिया मार्ग से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रोहताश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना शाहबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहताश निवासी ग्राम बन्दार थाना शाहबाद जनपद रामपुर।

जनपद सीतापुर/थाना तालगांव

- 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 10 हजार रुपये नगद
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 29.01.2026 को थाना तालगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सलेमपुर तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 10 हजार रुपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तालगांव पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद खीरी, सीतापुर, बहराइच

व कमिशनरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तालगांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— कलीम निवासी संगत टोला कस्बा व थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—10 हजार रुपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

➤ जनपद औरैया/थाना अजीतमल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अजीतमल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि सपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ रिन्कू को सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद कौशाम्बी/थाना पश्चिम शरीरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पश्चिम शरीरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/380/411 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोरईश को कठोर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ कमिशनरेट लखनऊ/थाना इटौंजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

कमिशनरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा थाना इटौंजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त बन्नू को कठोर आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हाथरस/थाना सहपञ्ज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 20—20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 28—28 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना सहपञ्ज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376डी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—राजेन्द्र 2—राकेश 3—सोपाली को 20—20 वर्ष के कठोर कारावास व 28—28 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयम्



दिनांक 29.01.2026

प्रेस विज्ञप्ति 64 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

गणतंत्र दिवस का बीटिंग द रिट्रीट (परिसमाप्ति समारोह) सम्पन्न

‘परिसमाप्ति समारोह’ की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब सूर्यास्त के साथ युद्ध विराम की घोषणा की जाती थी। बिगुल पर रिट्रीट की धुन बजते ही योद्धा युद्ध रोककर अपने शस्त्र समेट कर रण स्थल से अपने शिविरों की ओर लौट जाते थे। इसी ऐतिहासिक परंपरा के कारण आज भी रिट्रीट वादन के समय स्थिर खड़े रहने की प्रथा प्रचलित है। उस काल में सेनाओं के झंडे एवं निशान उतारकर सुरक्षित रख दिए जाते थे।

नगाड़ा (ड्रम बीट्स) वादन उस समय का प्रतीक है, जब नगरों एवं कर्बों में तैनात सैनिकों को सायंकाल निश्चित समय पर शिविरों में वापस बुलाया जाता था। इन्हीं प्राचीन सैन्य परंपराओं के समन्वय से वर्तमान बीटिंग द रिट्रीट समारोह का जन्म हुआ है।

गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन आज 29.01.2026 को सांय आयोजित इस समारोह में सेना के पाइप एवं ड्रम बैण्ड, पीएसी के पाइप एवं ब्रास बैण्ड, आर्मी मिलिट्री बैण्ड एवं होमगार्ड ब्रास बैण्ड आदि द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत मधुर एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत धुनों ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्रीमती आनंदी बेन पटेल रहीं। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा **गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026** के अवसर पर मार्चिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टोलियों को सम्मानित किया गया, जिसमें बेर्स्ट मार्चिंग कन्टिजेन्ट पैरामिलिट्री/पुलिस/होमगार्ड/पीआरडी/एसएसबी में **यू०पी० ए०टी०ए०** कमांडो दल को प्रथम स्थान तथा बेर्स्ट बैंड कन्टिजेन्ट पैरामिलिट्री/पुलिस/होमगार्ड/पीआरडी/एसएसबी में पीएसी 35वीं वाहिनी (पाइप बैंड), यूपी होमगार्ड (ब्रास बैंड) को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

समारोह में पुलिस महानिदेशक **उ०प्र०**, पुलिस आयुक्त लखनऊ सहित शासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा सेना, पुलिस एवं अन्य बलों के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

गणतंत्र दिवस, 2026



गणतंत्र दिवस, 2026



